Form No. III

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, तिजारा

फर्द अहकाम

(नियम 26)

सुधि बनाम खण्डाराम व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्यवाही मय इनीशियल्स जज प्रार्थना पत्र – 212 जा0दी0 संख्या 338 वर्ष 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारि हुए
13.07.2022	आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित है को सुना गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनता है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के हक में सावित है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी पेशी 16.08.2022 तक अस्थाई निषेधाज्ञा चन्दरोजा से पाबन्द किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 64 रकवा 1.27 हैक्ट. वाके ग्राम बाई तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0) पर वादी के हिस्से तक मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। क्यो न उक्त आदेश ताफैसला वाद Absolute कर दिया जावें? कोई उज्र हो तो आप स्वयं अथवा जर्ये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर जवाव पेश करे। वकील प्रार्थीगण वास्ते तलबी अप्रार्थीगण के रजिस्टर्ड ए0डी0 के नोटिस तलबाने सात दिवस में पेश करें अन्यथा उक्त आदेश स्वतः निरस्त है, वाद तलवी पत्रावली वाद के साथ पेश हों। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर)	
16/08/22	आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि0 उपस्थित पत्रावली मूल वाद के साथ दिनांक 15/11/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा	
10.10.22	आज पत्रावली मूल वाद के साथ पेश हुई। प्रा० पक्ष पर तलब हाजिर पेश हो। प्रार्थी पक्ष अधि० द्वारा प्रा० पत्र में वर्णित मूल वाद [illegible] के प्रारंभ हो गया है अतः प्रा० पत्र खारिज किया जाता है। प्रा० पत्र बाद निर्णय तकमील संलग्न मूल वाद हो। उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज०	